न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः— 122/2024

प्रार्थीः:—

भीखसिंह पुत्र शिवसिंह जाति राजपूत निवासी बेरानाडी,कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगणः:—

1. नरसींगाराम पुत्र आशा रबारी निवासी बेरानाडी,कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांकः— 18.11.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 912/539 रकबा 7.6971 हैक्टेयर ग्राम बेरानाडी तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की बदिशा उत्तर की ओर विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख.स. 925/541 रकबा 0.5341 आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 1 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 को [illegible] की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:28:44 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थी[illegible] की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा बेरानाडी तहसील सिवाना अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 912/539 रकबा 7.6971 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.सं. 925/541 की बदिशा उत्तर पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित चौडाई 13 फीट भूमि, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 को देने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 912/539 में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 925/541 में से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है।

प्रार्थी वकील द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थी को विप्रार्थीगण संख्या 1 के खसरा संख्या 925/541 को किस्म गै.मु. रास्ते को राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करते हुए खसरा संख्या 925/541 मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:28:44 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर ग्राम बेरानाडी तहसील सिवाना की ख.सं. 912/539 रकबा 7.6971 हैक्टयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खं.सं. 925/541 मे से लम्बाई 65 मीटर चौडाई 4 मीटर कुल रकबा (0.0260 हैक्टयर) में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

नक्शे में बरंग हरा से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में तहसीलदार सिवाना द्वारा रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थीगण दी जावे, विप्रार्थीगण द्वारा राशि लेने से इन्कार करने की स्थिति उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2024/940 दिनांक 12.11.2024 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:28:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 11/09/2024 12:40:08 PM

तहसील : सिवाना

भू. अ. नि. क्षेत्र : पादरू

ग्राम : बेरानाडी

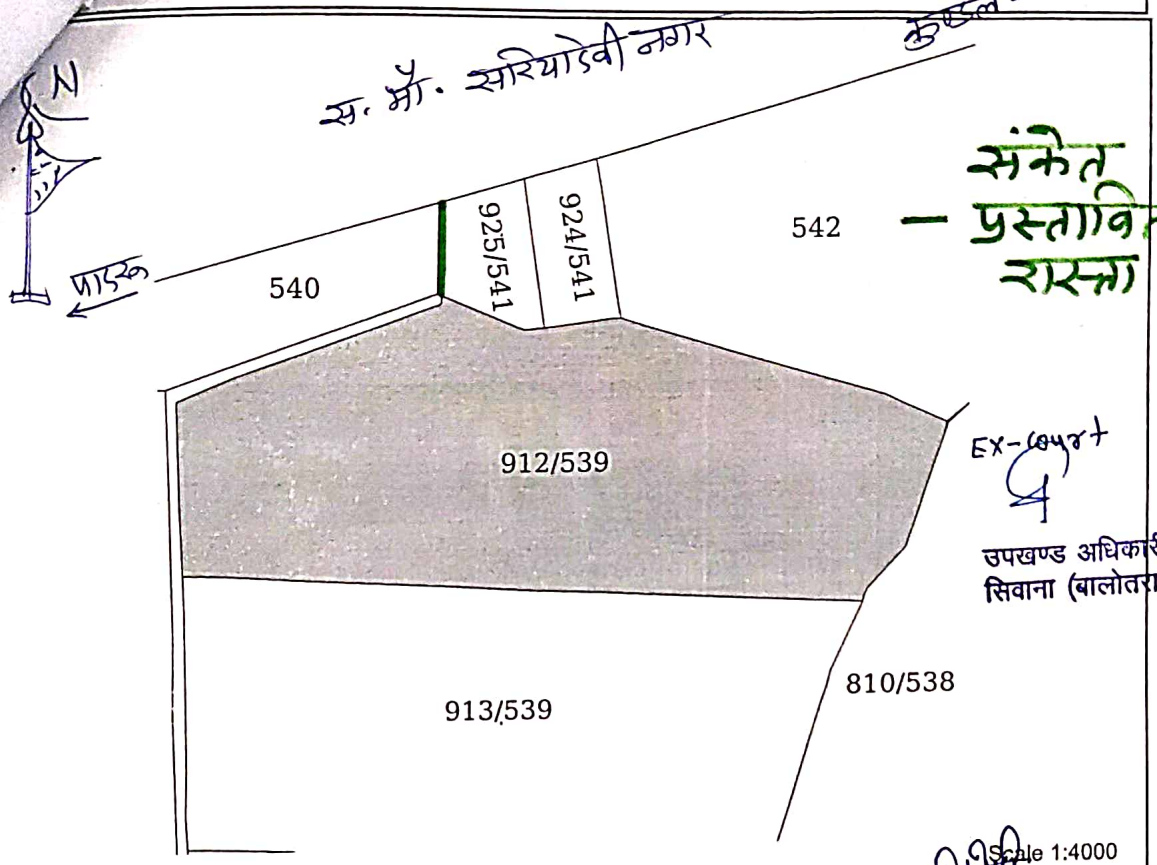

सत्य प्रतिलिपि

खसरा संख्या :912/539 क्षेत्रफल : 7.6971 Hectare खाता संख्या : 208पुराना खाता संख्या :226

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: धोरा [7.6971, 6.66]

1.) भीखसिंह पुत्र शिवसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा.देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा पादरू

पटवारी कुण्डल

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

11/09/2024

पटवारी कुण्डल

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

नोट :- खसरा सं. 925/541 की उत्तरी सीमा पर सटती हुई डामर सड़क गुजरती है जो रेकर्ड अनुसार पड़ोसी ग्राम सरिया देवी नगर मे स्थित है उक्त डामर सड़क ग्राम पादरू से ग्राम कुण्डल को जोड़ती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:28:44 IST
Reason: SelfAttested

11-09-24

तहसीलदार सिवाना

IUR पादरू